भारत में बीटी-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

भारत में बीटी-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

टॉक्सिक्स लिंक, नई दिल्ली
द्वारा तैयार किया गया

Toxics Link
for a toxics-free world

DO NOT PRINT

अस्वीकरण

मार्गदर्शन दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों से एकत्रित की गई है। यह दस्तावेज़ 2021–2022 की अवधि के दौरान तैयार किया गया था। इस दस्तावेज़ का आशय, एक अनौपचारिक संदर्भ के रूप में उपयोग करने का है, और इस तरह, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों में संदर्भित किसी भी नियम की आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित या विस्थापित नहीं करता है। उपरांत, जैसा कि "मार्गदर्शन," "के लिए," "चाहिए," और "कर सकते हैं" जैसी गैर-अनिवार्य भाषा के उपयोग से संकेत मिलता है, ये मार्गदर्शन दस्तावेज नीतियों की पहचान करते हैं और सुझाव प्रदान करते हैं और कोई नया कानूनी दायित्व या सीमाएं नहीं बनाते हैं, या किसी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, क्षेत्र या स्थानीय कानून के तहत दायित्वों को बढाता/ नहीं है।

DO NOT PRINT

विषय-सूची

विहंगावलोकन **2**

अभिस्वीकृति **3**

संक्षिप्त रूप **4**

भारत में बीटी-आधारित उत्पादों के उत्पादकों,पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज 5

1. बीटी-आधारित उत्पादों (निर्यातकों सहित) के उत्पादकों के लिए मार्गदर्शन **6**

1.1 भारत में बीटी-बायो (जैव) लार्वानाशी (लार्विसाइड्स) के उत्पादन के लिए विनियामक आवश्यकताएं **6**

1.1.1 केंद्रिय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति में बीटी-बायोलार्विसाइड्स का पंजीकरण **9**

1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग **10**

1.1.3 बीटी-बायोलार्विसाइड्स की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश **11**

1.2 बीटी-बायोलार्विसाइड्स की तकनीकी विशिष्टता का अनुपालन **11**

1.3 उपचार(प्रक्रिया), परिवहन और भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं **11**

2. बीटी-आधारित उत्पादों (बीटी-बायोलार्विसाइड्स) के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन **12**

2.1 NVBCDP द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पंजीकृत बीटी-बायोलार्विसाइड को समाविष्ट करना **13**

2.2 जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से पंजीकरण धारकों द्वारा बीटी-बायोलार्विसाइड का व्यवसायीकरण **14**

3. बीटी-आधारित उत्पादों (बीटी-बायोलार्विसाइड के उपयोगकर्ताओं) के लिए मार्गदर्शन **15**

अनुलग्नक **17**

संसाधन **20**

आंकड़ों की सूची

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए, निम्नलिखित नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है 9

रेखा-चित्र 2. NVBDCP के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बीटी-बायोलार्विसाइड को शामिल करने के लिए कदम 15

DO NOT PRINT

विहंगावलोकन

भारत सरकार ने, मई 2002 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 13 जनवरी 2006 को इसकी पुष्टि की (मंजुर/प्रमाणित किया)। 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू होने के बाद से, स्टॉकहोम कन्वेंशन में डाइ क्लोरो-डाईफेनाइल-ट्राई क्लोरोइथेन (एक रंग एवं गंधहीन पदार्थ जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है) (डीडीटी) को, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में से एक के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, भारत और कुछ अन्य देशों ने, रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण में डीडीटी के उपयोग के लिए छूट की मांग की है। भारत डीडीटी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और देश में इसका उत्पादन अभी भी जारी है। सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम, HIL (इंडिया), विश्वभर में डीडीटी के लिए एकमात्र पंजीकृत उत्पादक (निर्माता) है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (NIP) प्रस्तुत की। एनआईपी ने, अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक के रूप में, एनआईपी कार्यक्रम के पश्चात, डीडीटी के क्रमिक चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने एवं डीडीटी के विकल्पों के रुपमें, गैर-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी-विहिन) के विकास और प्रचार के लिये एक रूपरेखा तैयार की है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) का राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) महामारी विज्ञान के प्रभाव और कीटनाशक प्रतिरोध के आधार पर मलेरिया रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण के लिए डीडीटी का उपयोग कर रहा है। हालाँकि, जैसा कि भारत, डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत सरकार NVBDCP के माध्यम से निम्नलिखित हस्तक्षेपों सहित एकीकृत रोगाणुवाहक (वेक्टर) कीट प्रबंधन (IVPM) पर आधारित अपनी वैकल्पिक रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण रणनीति को आगे बढ़ा रही है: जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन या सभी विधायी उपायों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के संयोजन में।

भारत सरकार वर्तमान में डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की स्टॉकहोम कन्वेंशन में प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए "स्थायी कार्बनिक प्रदूषक रहित डीडीटी के विकल्पों का विकास और संवर्धन" के शीर्षक अंतर्गत, एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) 'जीईएफ परियोजना' लागू कर रही है। इस संदर्भ में, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों को, उत्पादकों (निर्माताओं), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए, डीडीटी विकल्पों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है और इस प्रकार, डीडीटी से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है। इस मार्गदर्शन दस्तावेज का उद्देश्य, जैव और वानस्पतिक कीटनाशकों और अन्य स्थानीय रूप से उपयुक्त, कम लागत वाले और टिकाऊ विकल्प जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली मच्छर दानी (LLIN), बीटी-आधारित उत्पाद (बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो मिट्टी में रहती है, यह प्रोटीन बनाता है जो खाने पर कुछ कीड़ों के लिए जहरीला होता है, लेकिन कुछ दूसरे कीड़ों के लिए नहीं) और नीम- आधारित उत्पाद की प्रशस्ति को आसान बनाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके, आजीविका बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, डीडीटी पर निर्भरता को कम करने और अंतिम रूप से उन्मूलन करने के लिए पहला कदम है।

मार्गदर्शन दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी को, उपयुक्त प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, अन्य सरकारी स्रोतों और संबंधित हितधारकों से प्राप्त मूल्यवान इनपुट जैसे कि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC), आयुष मंत्रालय, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी; UNIDO और HIL (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायो-टेक (इंडिया) लिमिटेड और वेस्टरगार्ड जैसे निर्माता से प्राप्त किया गया है।

DO NOT PRINT

अभिस्वीकृति

डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के संदर्भ में वेक्टर नियंत्रण हेतु वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ को तैयार करने का कार्य सौंपने के लिए टॉक्सिक्स लिंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। यह दस्तावेज़ वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका शीर्षक है "डीडीटी के विकल्प के रूप में गैर-पीओपी का विकास और प्रचार।"

हम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के प्रति इस परियोजना को क्रियान्वित करने में समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (NVBDCP) की वेक्टर कंट्रोल एक्सपर्ट डॉ. कल्पना बरुआ को उनके तकनीकी सहयोग और राज्यों में हमारे दौरे को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। मार्गदर्शन दस्तावेज़ पर केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB और RC), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सुझाव और टिप्पणियों के लिए भी हम आभारी हैं।

हम छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रारंभिक हितधारक परामर्श के दौरान छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्य वीबीडीसीपी अधिकारियों और बस्तर, छत्तीसगढ़ और मयूरभंज, ओडिशा के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

हम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायोटेक और वेस्टरगार्ड से प्राप्त अहम सुझावों को भी स्वीकार करते हैं। हितधारक परामर्श बैठकों के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, UNIDO, CSIR-NEERI, नागपुर और राज्य वीबीडीसीपी के अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अन्य वेक्टर नियंत्रण विशेषज्ञों के सुझावों के लिए भी हम आभारी हैं। हम डॉ. प्रदीप के. श्रीवास्तव (पूर्व संयुक्त निदेशक, NVBDCP) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी ज्ञान और समर्थन के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनसे दस्तावेजों को आकार देने और अंतिम रूप देने में मदद मिली।

हम टॉक्सिक्स लिंक में सहयोगियों को भी आभार प्रगट करते हैं जिन्होंने इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की।

DO NOT PRINT

संक्षिप्त रूप

BIS	भारतीय मानक ब्यूरो
Bt	बैसिलस थुरिंजिनिसिस
CIB&RC	केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति
CMSS	केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था
DDT	डाइ क्लोरो- डाईफेनाइल- ट्राई क्लोरोइथेन
DPIIT	उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग
GMO	आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव या जनुकीय परावर्तित जीव
ICMR	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
IEC	सूचना, शिक्षा और संचार
IS	भारतीय मानक
MOHFW	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
NCDC	रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र
NCVBDC	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र
NVBDCP	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
PPQS	पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय
WHO	विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHOPES	विश्व स्वास्थ्य संगठन कीटनाशी मूल्यांकन योजना

DO NOT PRINT

भारत में बीटी-आधारित उत्पादों के उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

बीटी-बायोलार्विसाइड सहित सभी जैव कीटनाशक, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** और **कीटनाशी नियम, 1971** द्वारा नियंत्रित होते हैं। बीटी-बायोलार्विसाइड के उत्पादकों (निर्माताओं) और पंजीकरण धारकों को उत्पादन और पंजीकरण के विभिन्न चरणों के दौरान, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करना होता है। इस मार्गदर्शन दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में अधिनियम और नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 का उद्देश्य कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करना है ताकि जानवरों पर मनुष्यों और इससे जुड़े मामलों के लिए, जोखिम को रोका जा सके।

अधिनियम की धारा 9 में बीटी-बायोलार्विसाइडस सहित सभी कीटनाशकों के पंजीकरण पर विस्तृत प्रावधान हैं

अधिनियम की धारा 10 में, निर्माताओं के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण नहीं करवाने या कीटनाशक पंजीकरण को रद्द करने के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है।

धारा 13, कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के बारे में विवरण प्रदान करती है

धारा 14, धारा 13 के तहत जारी किए गए विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निरसन, निलंबन और संशोधन पर प्रावधान करती है।

धारा 17 कुछ कीटनाशकों के आयात और निर्माण का निषेधका विवरण।

उत्पादकों (निर्माताओं) और पंजीकरण धारकों के लिए **कीटनाशी नियम, 1971** के प्रासंगिक प्रावधान हैं;

कीटनाशकों के पंजीकरण पर **अध्याय III** (पंजीकरण समिति के निर्णय के खिलाफ पंजीकरण और अपील का तरीका)

कीटनाशकों के निर्माण, कीटनाशकों की बिक्री, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की शर्तों आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने पर **अध्याय IV**।

अध्याय V कीटनाशकों की पैकेजिंग और लेबलिंग पर

अध्याय VII रेल, सड़क या पानी द्वारा पारगमन में कीटनाशकों के परिवहन और भंडारण पर

अध्याय IX में विविध प्रावधान हैं, आवेदन के लिए सामान्य प्रपत्र और कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र, **कीटनाशी नियम, 1968** की धारा के अंतर्गत अपील, कीटनाशकों के निर्माण की अनुज्ञप्ति की मंजुरी के लिए आवेदन, बेचने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन, या कीटनाशकों की बिक्री या वितरण के लिए प्रदर्शन,आदि ।

DO NOT PRINT

1. निर्यातकों सहित बीटी-आधारित उत्पादों (बीटी-बायोलार्विसाइड) के निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन

वैश्विक स्तर पर, बेसिलस थुरिंजिनेसिस (बीटी)(बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो मिट्टी में रहती है । यह प्रोटीन बनाता है जो खाने पर कुछ कीड़ों के लिए जहरीला होता है, लेकिन दूसरों को नहीं।) आधारित जैव कीटनाशकों को मलेरिया सहित वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम में प्रभावी पाया गया है। भारत में, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए संभावित लार्विसाइड्स के रूप में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के तहत बीटी-बायोलार्विसाइड की पहले से ही सिफारिश की जाती है। ये बायो लार्विसाइड्स पर्यावरण के अनुकूल हैं और ज्यादातर शहरी व्यवस्था में मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी के विकल्प के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि, भारत के वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम की संभावित मांग को देखते हुए, डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की उम्मीद में, नए उत्पादकों के साथ-साथ निर्यातकों के लिए बीटी-बायोलार्विसाइड के लिए एक उभरता हुआ अवसर है। इसलिए, उत्पादकों और निर्यातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत में बीटी-आधारित उत्पादों के व्यवसाय को चलाने के लिए देश में आवश्यक नियामक आवश्यकताओं को जानें और समझें।

भारत में, **कीटनाशक नियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971** के तहत, स्थानिय उत्पादन और उपयोग अथवा निर्यात या दोनों के लिए, बीटी-बायोलार्विसाइड निर्माण इकाई स्थापित करने वाले उत्पादकों (निर्माताओं) को अपने बीटी-बायोलार्विसाइड को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS) की, केंद्रीय कीटनाशक मंडल और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के पास पंजीकृत करना आवश्यक है।

बीटी-बायोलार्विसाइड के अनिवार्य CIB&RC पंजीकरण के अलावा, उत्पादकों (निर्माताओं) को उत्पादन सुविधा के कार्यरत होने से पहले और बाद में विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। निर्माता, एक साथ बीटी-बायोलार्विसाइड के पंजीकरण और एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्यातकों को निर्यात उद्देश्यों के लिए आवश्यक नियमों का भी पालन करना होगा। वर्तमान में, आयातित बीटी-बायोलार्विसाइड को CIB&RC के पास पंजीकृत होने की अनुमति नहीं है और इसलिए, वह भारत में बेचे नहीं जा सकते है।

1.1 भारत में बीटी-बायोलार्विसाइड के उत्पादन के लिए विनियामक आवश्यकताएं

- बीटी-बायोलार्विसाइड की उत्पादन इकाई (या निर्माण इकाई) की स्थापना के लिए उत्पादकों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर नियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।
- उत्पादकों(निर्माताओं) को पता होना चाहिए कि भारत में व्यवसाय/व्यापार स्थापित करने में निम्नलिखित चरण शामिल हैं; अर्थात्, निर्माण इकाई को उसके नाम के साथ पंजीकृत करना और कार्यरत होने के पूर्व (पूर्व-कमीशनिंग) के चरण (एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन, और कार्यरत होने के पश्चात (पोस्ट-कमीशनिंग) के चरण (पूर्व-उत्पादन चरण में अनुमोदन) पर नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रवर्तन में लेन के पूर्व और पश्चात के चरणों में शामिल नियामक आवश्यकताओं को योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है।

DO NOT PRINT

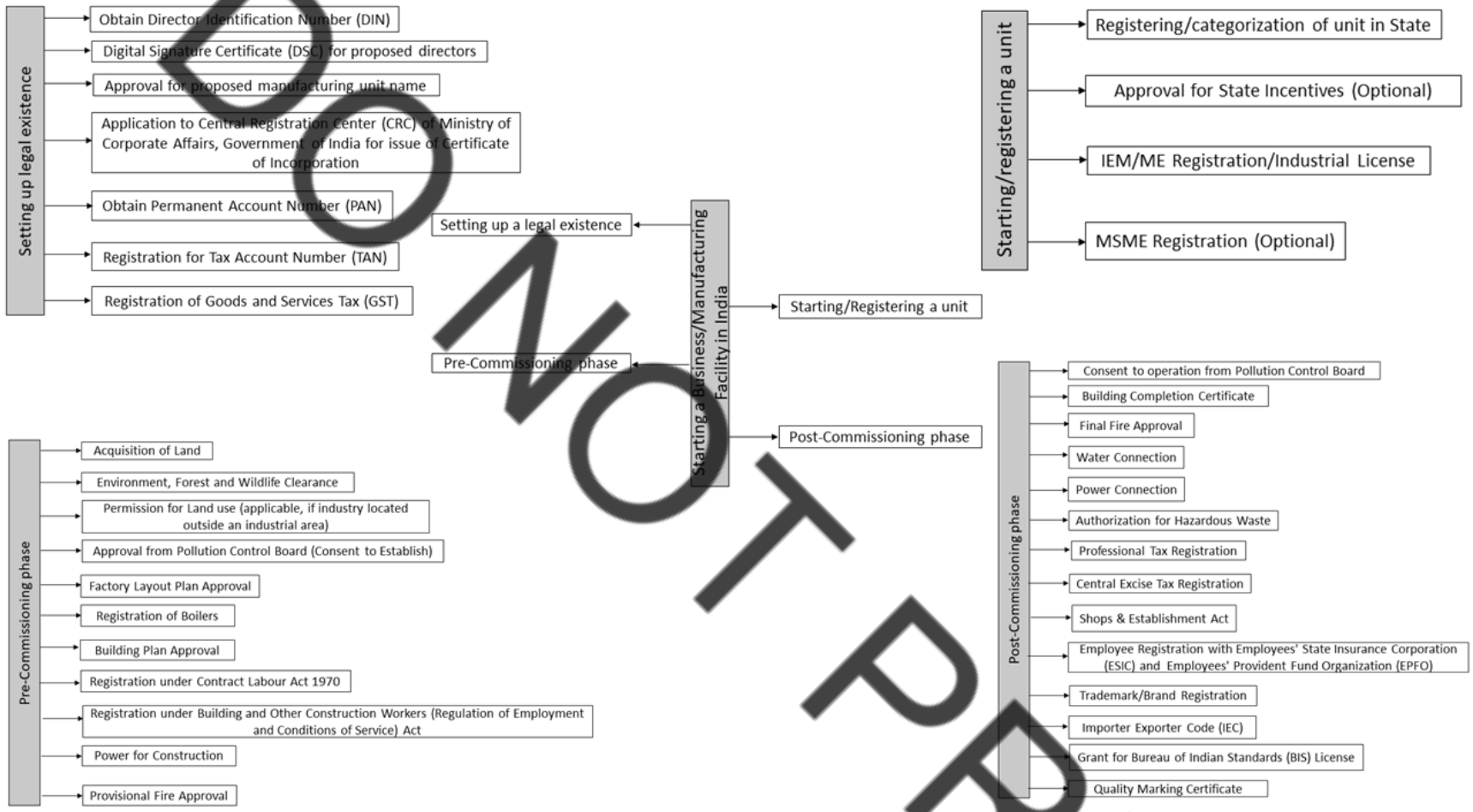

DO NOT PRINT

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए, निम्नलिखित नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी (इन्वेस्ट इंडिया) वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उपरोक्त चित्रात्मक रूप टॉक्सिक्स लिंक द्वारा तैयार किया गया है।]

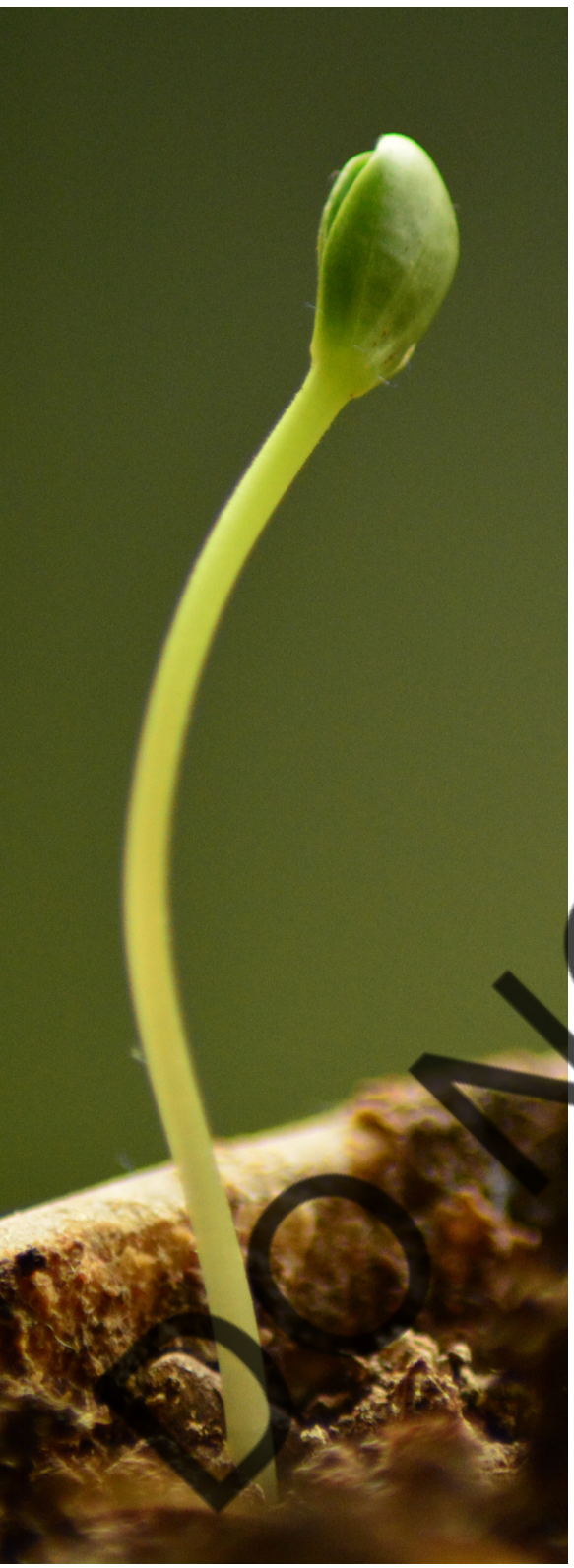

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की वेबसाइट पर भारत में एक नई परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों और मंजूरी की सूची प्राप्त कर सकते हैं। यह सूची **अनुबंध-I** में भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं में शामिल कदमों का विवरण, इन्वेस्ट इंडिया और डीपीआईआईटी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- भारत में बिक्री और वितरण के लिए या निर्यात के लिए, निर्मित किए जाने से पहले सभी बीटी-बायोलार्विसाइड को, **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9** के अंतर्गत, विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के PPQS के CIB&RC के पास पंजीकृत होना चाहिए।

- बीटी-बायोलार्विसाइड को CIB&RC द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत करने के पश्चात, उत्पादकों को संबंधित राज्य सरकारों (यानी, विनिर्माण लाइसेंस) से, आवश्यक कागजात और शुल्क के साथ अनुमोदन लेना आवश्यक है, जहां बीटी-बायोलार्विसाइड की उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। निर्माता संबंधित राज्य सरकारों के अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण अनुज्ञा (लाइसेंस) जारी करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सूक्ष्मजीव जैवकीटनाशकों (माइक्रोबियल बायोपेस्टीसाइड्स) (प्रतिरोधी कवक, एंटोमोपैथोजेनिक कवक, प्रतिरोधी जीवाणु, एंटोमोटॉक्सिक बैक्टीरिया) के निर्माताओं द्वारा, बनाई जाने वाली न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं। हालांकि, विशिष्ट सूक्ष्मजीव जैवकीटनाशकों सुत्रीकरण (माइक्रोबियल बायोपेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन) और उनके उत्पादन मात्रा के लिए जनशक्ति, स्थान और उपकरण/साधन की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो सकती है। निर्माता को यदि समान कीटनाशकों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है तो वे PPQS वेबसाइट पर दिशानिर्देशों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

- कीटनाशकों के उत्पादन के लिए अनुज्ञा (लाइसेंस) के लिए आवेदन करने से पहले उत्पादकों को संबंधित राज्यों की नियामक आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए। नियामक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी संबंधित राज्य के अनुज्ञापन(लाइसेंसिंग) प्राधिकरण के कार्यालय से अथवा भौतिक रूप से अथवा उनकी संबंधित वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के लिए नियामक आवश्यकताओं को महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा सेल की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

- विनिर्माण अनुज्ञा (लाइसेंस) जारी होने के पश्चात, बीटी-बायोलार्विसाइड को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त करना आवश्यक है, और इसके लिए अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) अधिकारी को आवेदन भी करना होगा।

DO NOT PRINT

- यदि बीटी-बायोलार्विसाइड को एक से अधिक स्थानों पर बेचा या बिक्री के लिए भंडारण किया जाना है, तो अलग-अलग आवेदन किए जाएंगे, और ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

- उत्पादकों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, बायोलार्विसाइड में आनुवंशिक रूप से संशोधित उपभेदों की अनुमति नहीं होती है। निर्माता पर, बीटी-बायोलार्विसाइड में आनुवंशिक रूप से संशोधित उपभेद का उपयोग करने के लिए, आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जैव कीटनाशकों के लिए उपयोग किए जाने वाले जीव के आनुवंशिक अनुक्रम को प्रस्तुत करना होगा।

- स्वदेशी रूप से निर्मित बीटी-बायोलार्विसाइड के सभी निर्यातकों को भी कीटनाशी नियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार CIB&RC से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

1.1.1 CIB&RC के पास बीटी-बायोलार्विसाइड का पंजीकरण

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS) की, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) संबंधित तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को, पंजीकरण और सलाह के लिए जिम्मेदार है। बीटी-बायोलार्विसाइड के लिए, कीटनाशक नियम, 1968 के तहत कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सामान्य दिशानिर्देश PPQS वेबसाइट पर दिए गए हैं। CIB&RC का संपर्क पता **अनुबंध-II** में दिया गया है।

- भारत में निर्यात या बिक्री और वितरण के लिए उत्पादित किए जाने से पहले सभी बीटी-बायोलार्विसाइड को कीटनाशी नियम, **1968** की **धारा 9** के तहत CIB&RC के पास, उत्पादकों द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए।

- उत्पादकों को **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9** में उल्लिखित बीटी-बायोलार्विसाइड सहित सभी कीटनाशकों के पंजीकरण के प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है।

- यदि भारत में पहली बार बीटी-बायोलार्विसाइड पेश किए गए हैं, तो पंजीकरण समिति, किसी भी जांच के लंबित रहने पर, **धारा 9(3बी)** के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान कर सकती है। एक बार अनंतिम पंजीकरण समाप्त होने के पश्चात, निर्माताओं को CIB&RC के पास **धारा 9(3)** के अंतर्गत, स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। PPQS वेबसाइट पर कीटनाशक पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट आवेदन पत्र उपलब्ध है।

- यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा **धारा 9(3)** के अंतर्गत नियमित पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो उत्पादकों(निर्माताओं) को **धारा 9(3बी)** के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण भी दिया जा सकता है। आवश्यक डेटा उत्पन्न करने के लिए, अनंतिम पंजीकरण दो वर्षों के लिए दिया जाता है और इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- CIB&RC के साथ बीटी-बायोलार्विसाइड के पंजीकरण के लिए, उत्पादकों को CIB&RC द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार रसायन विज्ञान, जैव-प्रभावकारिता, विषाक्तता एवं पैकेजिंग और लेबलिंग पर डेटा प्रदान करना होगा। PPQS वेबसाइट पर **धारा 9(3बी)** और **9(3)**, यथास्थिति, के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

  उपरोक्त पंजीकरण दिशानिर्देश आवश्यकताओं के लिए, भारतीय मानक और कीट विषाक्त(एंटोमोटॉक्सिक) जिवाणु तकनीकी और सूत्रीकरण के लिए, नमूने और परीक्षण की विधि भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में, बीटी-आधारित उत्पादों को, **धारा 9(4)** के तहत पंजीकृत करने की अनुमति नहीं है। उत्पादकों(निर्माताओं) को अपने कीटनाशकों के पंजीकरण पर आगे के मार्गदर्शन के लिए **कीटनाशी नियम, 1971** के **अध्याय III** के तहत नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक है।

DO NOT PRINT

- किसी भी कीटनाशक पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के पश्चात, यह आवेदन और डेटा पूर्णता के लिए प्रारंभिक समिक्षा से गुजरता है। उत्पादकों(निर्माताओं) को अपने पंजीकरण आवेदन को मजबूत करने के लिए **धारा 9(3)** के अंतर्गत पंजीकरण के लिए PPQS वेबसाइट पर प्रदर्शित जांच-सूची (चेकलिस्ट) का संदर्भ लेना चाहिए।

- आम तौर पर, CIB&RC को आवेदन जमा करने के पश्चात, पंजीकरण प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगते हैं (डेटा की कमी के आधार पर, यदि कोई हो)। **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9(3)** के अनुसार कीटनाशकों के पंजीकरण की समय-सीमा के बारे में विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।

- निर्माताओं को पंजीकरण के आवेदन के साथ एक वचन देना होगा कि, उत्पाद में कोई आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) नहीं है। यदि एक नया उपभेद(स्ट्रेन) पंजीकृत करना है या पहले से पंजीकृत उपभेद(स्ट्रेन) पहले जमा न किया हो, तो दो नमूने CIB&RC के सचिवालय में जमा करने होंगे; एक उत्पाद विनिर्देश की आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला से पूर्व-पंजीकरण सत्यापन के लिए, और दूसरा नमूना राष्ट्रीय कृषि रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के राष्ट्रीय विभाग(ब्यूरो) में जीन संकेतनाम(कोड) अनुक्रमण/16 एस आर-डीएनए/ फिंगरप्रिंटिंग(अंगुलिछाप) के पूर्व-पंजीकरण सत्यापन के लिए उपयोग किया जाना है।

- एक बार सीआर जारी हो जाने के बाद, निर्माता पंजीकरण धारक बन जाते हैं और उन्हें उन शर्तों का पालन करना होता है,जिनके अधीन बीटी-बायोलार्विसाइड पंजीकरण प्रदान किया गया था। सीआर में संरचना, सक्रिय संघटक, आत्म जीवन(सेल्फ लाइफ), लेबल, खुराक, और उनका उपयोग, और सुरक्षा सावधानियां समाविष्ट हैं।

1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग

लेबलिंग और पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उत्पादकों को CIB&RC द्वारा अनुमोदित और उत्पाद के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए लेबल दावों का पालन करना आवश्यक है। लेबल और पर्चे(लीफलेट) को CIB&RC के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित करना आवश्यक है और इसे बेचने या वितरित करने से पहले अंतिम उत्पादों वाले पैकेज(गट्ठर) से चिपकाया या संलग्न किया जाना चाहिए।

जो निर्माता अंतरराष्ट्रीय बोली में भाग लेने और अन्य देशों को बीटी-बायोलार्विसाइड निर्यात करने में रुचि रखते हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन **(WHO)** के दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है और वे डब्ल्यूएचओ वेबसाइट के प्रकाशन पृष्ठ पर अच्छी लेबलिंग के लिए डब्ल्यूएचओ की अनुसंशाओं का संदर्भ ले सकते हैं।

विशिष्ट संसाधन:
कीटनाशकों के लिए अच्छे लेबलिंग अभ्यास पर दिशानिर्देश। कीटनाशक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता

DO NOT PRINT

1.1.3 बीटी-बायोलार्विसाइड की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश

उत्पादकों को बायोलार्विसाइड के उत्पादन के दौरान, उत्पादों और उनके घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसा कि उनके उत्पादों के पंजीकरण के लिए CIB&RC को प्रस्तुत किया गया था। CIB&RC द्वारा जारी संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उत्पादकों को सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

जो उत्पादक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने बीटी-बायोलार्विसाइड को निर्यात करने का और बेचने का इरादा रखते हैं, वे गुणवत्ता नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।

कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश। कीटनाशकों के वितरण और उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता

बीटी-बायोलार्विसाइड सहित रोगवाहक(वेक्टर) नियंत्रण उत्पाद, जो डब्ल्यूएचओ की पूर्व योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं,वह डब्ल्यूएचओ की रोगवाहक(वेक्टर) नियंत्रण उत्पादों की सूची में जोड़े जाते हैं। इन रोगवाहक(वेक्टर) नियंत्रण उत्पादों को डब्ल्यूएचओ पूर्व योग्य(प्रीक्वालिफाइड) (पहले डब्ल्यूएचओ कीटनाशी मूल्यांकन योजना (WHOPES) के रूप में जाना जाता था।

- निर्माता डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर रोगवाहक(वेक्टर) नियंत्रण उत्पाद पूर्व योग्य(प्रीक्वालिफाइड) पृष्ठ देख सकते हैं
- डब्ल्यूएचओ के पूर्व-योग्य रोगवाहक(वेक्टर) नियंत्रण उत्पादों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है

1.2 बीटी-बायोलार्विसाइड की तकनीकी विशिष्टता का अनुपालन

यह उत्पाद और पैकेजिंग तैयार और सार्वजनिक किए जाने के समय, निर्माता द्वारा CIB&RC को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए विनिर्देशों एवं भारतीय मानक (IS) विनिर्देशों और संशोधनों के अनुरूप होने चाहिए। उत्पादकों(निर्माता) को अपने उत्पादों के लिए आईएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से संपर्क करना चाहिए। विनिर्देश में संरचना, सक्रिय संघटक, खुराक और सामर्थ्य आदि शामिल हैं। यह मापदंड पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निर्माता बीआईएस वेबसाइट से विवरण प्राप्त कर सकते हैं। बीआईएस का पता और संपर्क विवरण **अनुबंध-IV** में है।

1.3 उपचार, परिवहन और भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं

उत्पादकों को **कीटनाशी नियम, 1971**[1] के अनुरूप कीटनाशकों के भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। चूंकि कीटनाशकों को आमतौर पर रेलवे द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए कीटनाशकों वाले संकुल(पैकेजों) को, रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रेड टैरिफ(जिसमें विस्फोटकों, खतरनाक माल को रेलवे द्वारा ढोने के नियम एवं दरों का उल्लेख किया गया है) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पैक करना आवश्यक है।

सभी कीटनाशकों को इस तरह से ले जाया या संग्रहीत किया जाना चाहिए कि यह खाद्य पदार्थों या पशु आहार के सीधे संपर्क में न आए। कीटनाशकों वाले पैकेज को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान से दूर अलग कमरे या परिसर में संग्रहित किया जाना चाहिए। विवरण के लिए, **उत्पादक कीटनाशी नियम, 1971 के अध्याय VII** का संदर्भ ले सकते हैं।

1 Insecticide Rules, 1971 (http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf)

DO NOT PRINT

2. बीटी-आधारित उत्पादों (बीटी- बायोलार्विसाइड्स) के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन

भारत में बेचे जाने वाले/उपयोग किए जाने वाले सभी बीटी-बायोलार्विसाइड को **कीटनाशी नियम , 1968** और **कीटनाशी नियम, 1971** के प्रावधानों के अनुसार सीआईबीरसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह अनिवार्य पंजीकरण भारत में बीटी-बायोलार्विसाइड के उत्पादकों एवं बीटी-बायोलार्विसाइड के निर्यातकों के लिए भी लागू है। भारत में उपयोग के लिए या निर्यात करने के लिए या दोनों के लिए बीटी-बायोलार्विसाइड का निर्माण करने वाले उत्पादकों (निर्माताओं)को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्रक द्वारा आवेदन करना होगा। उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात, उन्हें बीटी-बायोलार्विसाइड का पंजीकरण धारक माना जाएगा और वे भारत में और भारत के बाहर बीटी-बायोलार्विसाइड को बेचने के लिए व्यापारिक बोली प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होंगे, जैसा कि उनके संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट है।

भारत में, वर्तमान में बीटी-बायोलार्विसाइड को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति है परंतु खुदरा बाजार में बिक्री करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बीटी-बायोलर्विसाइड्स के पंजीकरण धारकों को, उनके बीटी-बायोलार्विसाइड का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उपयोग के लिए शामिल करने के लिए, CIB&RC से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, राष्ट्रीय रोगवाहक(वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), राष्ट्रीय रोगवाहक(वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) के निदेशालय में प्रस्ताव देना आवश्यक है। बीटी-बायोलार्विसाइड के पंजीकरण धारक, अपने उत्पादों का, राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही, वाणिज्यिक बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल हैं, और सामान्य भाषा में, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण, रोकथाम और संचारी तथा गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायक और जिम्मेदार है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) देश में सबसे व्यापक और बहु-आयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों में से एक है और मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों, जैसे फाइलेरिया, काला-अजार, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) का एनवीबीडीसीपी निदेशालय इन वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए बुनियादी संस्था (नोडल एजेंसी) है।

उत्पाद के वैज्ञानिक मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत, देश में उपयोग के लिए नए बीटी-बायोलार्विसाइड को पेश करने की अंतिम जिम्मेदारी एनवीबीडीसीपी की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बीटी-बायोलर्विसाइड्स की खरीद की जाती है तथा पंजीकरण धारकों को, बीटी-बायोलार्विसाइड की आपूर्ति के लिए, संबंधित सरकारी निकायों की खरीद प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

एनसीवीबीडीसी का संपर्क विवरण और पता **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

DO NOT PRINT

2.1 NVBCDP द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पंजीकृत बीटी-बायोलार्विसाइड को समाविष्ट करना

एनवीबीडीसीपी, CIB&RC द्वारा उत्पाद के पंजीकरण/अपंजीकरण के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग के लिए नए बीटी-बायोलार्विसाइड की शुरूआत और/अथवा बीटी-बायोलार्विसाइड को हटाने पर विचार करता है।

एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत किसी भी नए पंजीकृत बीटी-बायोलार्विसाइड को समाविष्ट करने के लिए, आईसीएमआर, एनवीबीडीसीपी और एनसीडीसी[2] द्वारा, विकसित वेक्टर नियंत्रण में उपयोग के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों के समान मूल्यांकन के लिए संशोधित सामान्य शिष्टाचार(प्रोटोकॉल) के अनुसार इसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। यहां तक कि, बीटी- बायोलार्विसाइड सहित डब्ल्यूएचओ पूर्व-योग्य कीटनाशकों को, एनवीबीडीसीपी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपयोग के लिए, बड़े पैमाने पर एवं बहु-केंद्रित क्षेत्र परीक्षण/भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, प्रभावकारिता और उपयुक्तता के लिए मूल्यांकन के पश्चात ही अनुमोदित किया जाता है।

बीटी-बायोलार्विसाइड के पंजीकरण धारकों को, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उनके बीटी-बायोलार्विसाइड को समाविष्ट करने पर विचार करने/ध्यान देने के लिए, अनुमोदित लेबल दावे के साथ CIB&RC द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र और एनवीबीडीसीपी को चरण- I, चरण- II और चरण- III परीक्षण विवरण सहित संपुर्ण डाजियर जमा करना आवश्यक है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनके उपयोग के लिए बीटी- बायोलार्विसाइड अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल कदम एनवीबीडीसीपी वेबसाइट पर, नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) कार्यक्रम में नए बीटी-बायोलार्विसाइड (को शामिल करने की मंजूरी देने वाला अंतिम प्राधिकरण है।

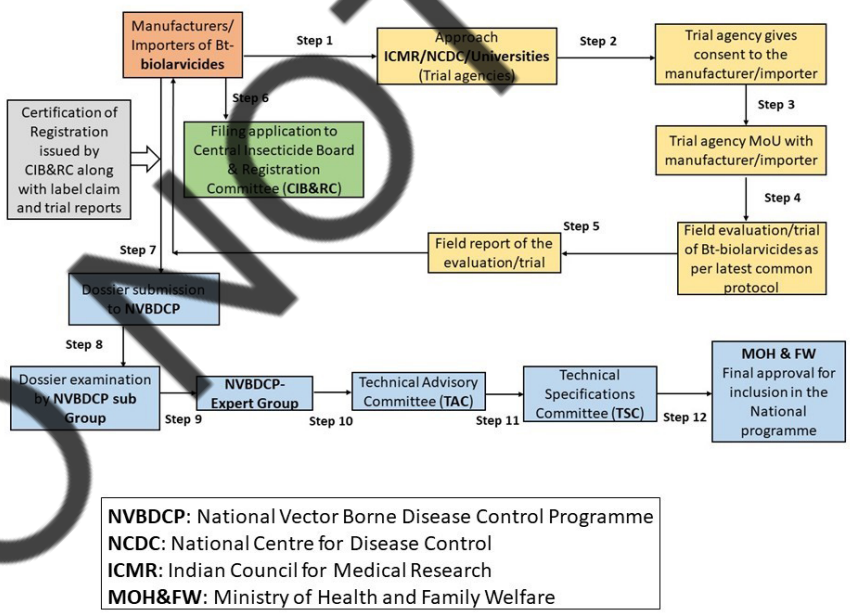

रेखा-चित्र 2. NVBDCP के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बीटी-बायोलार्विसाइड को शामिल करने के लिए कदम

(राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बायोलार्विसाइड सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों की शुरूआत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में प्रदान किए गए मूल प्रवाह चार्ट के आधार पर उपरोक्त आंकड़े को फिर से तैयार किया गया है।[3])

2 Revised Common Protocol for Uniform Evaluation of Public Health Pesticides including Bio-larvicides for use in Vector Control (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/Revised-Common-Protocol-2014.pdf)

3 Standard Operating Procedure for Introduction of Public Health Pesticides Including Biolarvicides in the National Vector Borne Disease Control Programme (https://nvbdcp.gov.in/Doc/Final%20Interim%20Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20%20for%20introduction%20of%20public%20health%20pesticides%20including%20biolarvicides%20in%20the%20NVBDCP.pdf)

DO NOT PRINT

2.2 जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से पंजीकरण धारकों द्वारा बीटी-बायोलार्विसाइड का व्यवसायीकरण

पंजीकरण धारकों को बीटी बायोलार्विसाइड खरीद के लिए आवश्यक बोली प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, यदि उनके उत्पाद को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उन्हें सरकारी खरीद अभिकरण(एजेंसी) द्वारा जारी निविदा या बोली दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पंजीकरण धारक, निविदा आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करने के पश्चात बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि किसी पंजीकरण धारक को बोली प्रदान की जाती है, तो संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवश्यक मात्रा में, समय पर आपूर्ति करते हैं।

सफल बोलीदाताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है और वे **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872**[4] का पालन करेंगे। मानक बोली दस्तावेज में, अन्य आवश्यक रूपों के अतिरिक्त, अनुबंध की सामान्य शर्त (जीसीसी) और अनुबंध की विशेष शर्त (एससीसी) समाविष्ट हैं। बोली दस्तावेज में दिए गए तकनीकी मानकों/विनिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

DO NOT PRINT

4 **Indian Contract Act, 1872** (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2187/2/A187209.pdf)

3. बीटी-आधारित उत्पादों (बीटी-बायोलार्विसाइड के उपयोगकर्ताओं) के लिए मार्गदर्शन

भारत में, वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सभी कार्यान्वयन दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें बीटी-बायोलार्विसाइड के वितरण और उपयोग के दिशा-निर्देश शामिल हैं। हालांकि, भारत में स्वास्थ्य एक राज्य का विषय होने के नाते, लक्षित क्षेत्रों में बीटी-बायोलार्विसाइड (के वितरण और उपयोग सहित कार्यक्रम गतिविधियों का कार्यान्वयन, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। दिशानिर्देशों में, वेक्टर नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया, वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम में उपयोग के लिए अनुमोदित उत्पादों की सूची, उनके तकनीकी विनिर्देश और उत्पादों की तकनीकी आवश्यकताओं की गणना के लिए मानदंड शामिल हैं।

इसके अलावा चूंकि बीटी- बायोलार्विसाइड (को खुदरा बाजार में बिक्री के लिए अनुमति दी गई है, विभिन्न आवासन समितियां(हाउसिंग सोसाइटी), गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी उपयोगकर्ता भी बीटी- बायोलार्विसाइड का उपयोग कर रही हैं। उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों के बारे में भी पता होना चाहिए।

- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वितरण के लिए उत्पादों के प्राप्तकर्ता हैं और वर्तमान नीति के अनुसार, विकेंद्रीकृत वस्तु के रूप में, उनकों अपेक्षित बीटी-बायोलार्विसाइड की खरीद करनी होती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर जारी एनवीबीडीसीपी दिशानिर्देशों[5] और सलाह के अनुसार अपने संबंधित मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को संरेखित करना आवश्यक है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बीटी-बायोलार्विसाइड के वितरण और उपयोग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिलों (भेजने वालों) को सलाहकार दिशानिर्देश जारी करना चाहिए।
- एनवीबीडीसीपी, शहरी क्षेत्रों में सभी लार्वानाशकों को, लार्वा रोधी उपायों के रूप में उपयोग करने की अनुसंशा करता है। एनवीबीडीसीपी ने बायोलार्विसाइड (के उपयोग, खुराक और आवृत्ति पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका, शहरी वेक्टर जनित रोग योजना के लिए, परिचालन दिशानिर्देशों में संदर्भ लिया जा सकता है।[6]
- माल पानेवाले को भंडारघर/गोदाम के प्रभारी नामित करना आवश्यक है जहां माल प्राप्त किया जाएगा और वितरण से पहले विभिन्न अंतिम बिंदुओं पर संग्रहीत किया जाएगा। प्रभारी को बायोलार्विसाइड प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए और विनिर्देशों, समाप्ति की तारीख, निर्माता विवरण आदि के अनुसार माल का मिलान करना चाहिए। माल पानेवाले(परेषितियों) को भंडारको ठीक से बनाए रखना चाहिए और उनकी समाप्ति से पहले माल वितरित करना चाहिए।
- संबंधित राज्य संस्थाओं(एजेंसियों) को छिड़कनेवाले यंत्र(स्प्रेयर) से किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों सहित छिड़कनेवाले यंत्र(स्प्रेयर) की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। साथ ही, राज्य की संस्थाओं(एजेंसियों) को छिडकाव कर्मचारियों को, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पीपीई) जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- छिडकाव कार्यकर्ता लार्वा स्रोत प्रबंधन में शामिल प्रमुख लोग हैं। छिडकाव कार्यकर्ता संवर्धन स्थलों में छिड़काव के लिए निर्धारित भंडार से बायोलार्विसाइड प्राप्त करते हैं। एनवीबीडीसीपी द्वारा अनुशंसित सुत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) को पतला करके, तथा छिड़काव द्वारा अनुशंसित क्षेत्र को आवरित करके बायोलार्विसाइड का उपयोग के लिए तैयार, समाधान बनाना आवश्यक है ताकि संवर्धन स्थलों में अनुशंसित खुराक मिल सके।
- छिड़काव गतिविधि का स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा, पर्यवेक्षण करना आवश्यक है, ताकि यह जांचा जा सके कि यह संचालन नियमावली में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। ये अधिकारी छिडकाव के लिए तैयार सुत्रीकरण (रेडी-टू-स्प्रे फॉर्मूलेशन), खुराक, आवेदन की आवृत्ति, आवश्यक उपकरण, और

DO NOT PRINT

5 Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016 (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/5232542721532941542.pdf)
6 Operational Guidelines for Urban Vector-Borne Diseases Scheme, NVBDCP (https://nvbdcp.punjab.gov.in/Download/OPERATIONAL-GUIDELINES-FOR-URBAN-VBD-SCHEME-2016.pdf)

संवर्धन स्थलों की सही जानकारी के लिए उस उत्पाद के पंजीकरण प्रमाण पत्र का भी संदर्भ ले सकते हैं, जहां इसे उपयोग के लिए अनुशंसित किया जाता है। स्थानीय अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि, बीटी-बायोलार्विसाइड का उपयोग उनकी समाप्ति तिथि से पहले किया जाता है या नहीं। पीने योग्य पानी के संग्रह में उपयोग के लिए इन बायोलार्विसाइड की अनुसंशा नहीं की जाती है।

- छिड़काव कर्मियों को, बायोलार्विसाइड का सही तरीके से उपयोग करने के लिए बार-बार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्थानीय सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, बीटी-बायोलार्विसाइड का उपयोग, उत्पाद के साथ उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए लेबल और पर्चे पर उल्लिखित सावधानियों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।
- लार्वा छिड़काव का मासिक विवरण और बायोलार्विसाइड के भंडार(की स्थिति को उचित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में दर्ज किया जाना चाहिए जिसे शहरी वेक्टर जनित रोग योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में संदर्भित किया जा सकता है।.6
- राज्य को समय-समय पर संशोधित **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**[7] और **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**[8] के प्रावधानों के अनुसार, समाप्त हो चुके बीटी-बायोलार्विसाइड और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए, जागरूक होना चाहिए एवं योजना विकसित करनी चाहिए। जिला स्तर के अधिकारी को, राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समाप्त हो चुके बायोलार्विसाइड और उनकी पैकेजिंग सामग्री के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- इन उपयोगकर्ताओं को बीटी-बायोलार्विसाइड के उपयोग पर एनवीबीडीसीपी द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों और आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का भी पालन करना चाहिए।
- सरकार, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों और अंतरक्षेत्रीय अभिसरण बैठकों को बढ़ावा दे सकती है ताकि, उपयोगकर्ताओं को बायोलार्विसाइड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिल सके

DO NOT PRINT

7 Solid Waste Management Rules, 2016 (https://cpcb.nic.in/uploads/MSW/SWM_2016.pdf)
8 Plastic Waste Management Rules, 2016 (https://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/168620.pdf)

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I: भारत में नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अनुमोदन/ मंजूरी की सूची

यह सूची नीचे दिए गए लिंक पर प्रदान की गई है:

https://dipp.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf

[अंतिम अभिगमन किया गया: 10 May 2022]

आवश्यक स्वीकृतियां/मंजूरी	जिस विभाग से संपर्क और परामर्श किया जाना है
व्यापार/व्यवसाय पंजीकरण	
कंपनी का निगमन	कंपनी के पंजीयक
राज्य में एक इकाई शुरू करना/पंजीकरण करना	
पंजीकरण/आईईएम/औद्योगिक अनुज्ञापन(लाइसेंस)	लघु उद्योग के लिए जिला उद्योग केंद्र (एसएसआई) / बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए)
वित्त/ पूंजी लगाना	i. सावधि ऋण के लिए राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम ii. 1.5 करोड(15 मिलियन) रुपये से अधिक के ऋण के लिए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (ICICI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) आदि।
प्रवर्तन में लाने के पुर्व के चरण	
भूमि अधिग्रहण	राज्य उद्योग निदेशालय (DI)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC)/अवसंरचना निगम/लघु उद्योग विकास निगम (SSIDC)
भूमि उपयोग की अनुमति (यदि उद्योग किसी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है))	राज्य डीआई/स्थानीय प्राधिकारी/जिला कलेक्टर
उत्थापक(लिफ्ट) और एस्केलेटर(चलती सिढी) के लिए स्वीकृति	राज्य स्थानीय प्राधिकरण
भवन योजना अनुमोदन	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय
पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी	परियोजना श्रेणी के आधार पर, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) या एमओईएफसीसी, भारत सरकार
जल और वायु अधिनियम के तहत स्थापना (एनओसी) की सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल(बोर्ड)
फैक्टरी रूपरेखा योजना अनुमोदन	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
भट्ठी(बॉयलरों) का पंजीकरण	राज्य बॉयलर विभाग
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम (BOCW), 1996 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण

DO NOT PRINT

आवश्यक स्वीकृतियां/मंजूरी	जिस विभाग से संपर्क और परामर्श किया जाना है
प्रवर्तन में लाने के पश्चात के चरण	
खतरनाक अपशिष्ट के लिए प्राधिकरण	खतरनाक अपशिष्ट संग्रहण/ग्रहण/उपचार/परिवहन/भंडारण और निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (बोर्ड) को आवेदन
भवन पूर्णता प्रमाणपत्र	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय नोडल प्राधिकरण
अंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण और सीमा शुल्क	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल(बोर्ड)
बिजली	राज्य विद्त वितरण कंपनी
दुकान और स्थापना अधिनियम	राज्य श्रम विभाग
जल जोड़ (कनेक्शन)	एसआईडीसी/राज्य औद्योगिक संवर्धन मंडल(बोर्ड)/सिंचाई विभाग/केंद्रीय भूजल आयोग
कर्मचारी पंजीकरण	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
जीएसटी पंजीकरण	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल जीएसटी सेवा केंद्र
आयातक निर्यातक संकेतनाम(कोड)	विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यावसायिक कर पंजीकरण	राज्य कर विभाग
ट्रेडमार्क/ब्रांड पंजीकरण	पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय
संचालन के लिए सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अनुलग्नक II: केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के संपर्क विवरण

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति
पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
वेबसाइट: http://ppqs.gov.in/contactus/central-insecticide-board-and-registration-committee-cibrc

सम्पर्क सूत्र
सचिव CIB&RC
दूरभाष: +91-1292413002/1292476210
ई-मेल: cibsecy@nic.in

DO NOT PRINT

अनुलग्नक III:

पंजीकरण आवेदन जमा करने के पश्चात, कीटनाशकों के पंजीकरण की समय सीमा (कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अनुसार)

आम तौर पर, आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया में 12 से 18 महीने (डेटा की कमी के आधार पर, यदि कोई हो) लगते हैं।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) में कहा गया है,

किसी कीटनाशक के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर, समिति ऐसी जांच के बाद जो वह ठीक समझे और स्वयं कि संतुष्टी के पश्चात, जिस कीटनाशक के लिए आवेदन किया गया हो वह, आयातक या निर्माता द्वारा किए गए दावों के अनुरूप है, कीटनाशक की प्रभावकारिता तथा मनुष्यों एवं जानवरों के लिए इसकी सुरक्षा के संबंध में, पंजियक 3 [ऐसी शर्तों पर जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं] और निर्धारित फीस के भुगतान पर, कीटनाशक के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवंटीत करेगा:

बशर्ते कि समिति, यदि उपरोक्त अवधि के भीतर अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो अवधि को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा समय के लिए आगे नही बढा सकती।

अनुलग्नक IV: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के संपर्क विवरण

Bureau of Indian Standards
कमरा नं. 560, मानकालय
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110002
वेबसाइट: https://www.bis.gov.in/
दूरभाष: +91-11-23230131
ईमेल: info@bis.gov.in

अनुलग्नक V: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCVBDC) के संपर्क विवरण)

वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
22, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054
(सीमाचिह्न : आईपी कॉलेज, सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन के पास)
Website: https://nvbdcp.gov.in/
दूरभाष : +91-11-23967745, 23967780
ईमेल : nvbdcp-mohfw@nic.in

DO NOT PRINT

संसाधन

1. List of approvals and clearances required for new projects in India provided by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
   https://dipp.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf
   [Last accessed: 10 May 2022]
2. Steps involved in the regulatory process for establishing a production unit in India are available on the following websites.
   https://www.investindia.gov.in/ [Last accessed: 10 May 2022]
   https://dipp.gov.in/ [Last accessed: 10 May 2022]
3. Guidelines for minimum infrastructure facilities to be created by the manufacturers of microbial biopesticides (Antagonistic fungi, Entomopathogenic fungi, Antagonistic bacteria, Entomotoxic bacteria) to meet the requirements for the issue of manufacturing license by licensing authority of the respective state governments.
   http://ppqs.gov.in/sites/default/files/c2.12011.doc [Last accessed: 10 May 2022]
4. (Example) Regulatory requirements for establishing a pesticide manufacturing facility in the State of Maharashtra.
   https://maitri.mahaonline.gov.in/ [Last accessed: 10 May 2022]
5. General guidelines for registration of insecticides under the **Insecticides Act, 1968** are given on the website.
   http://ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-ommittee/registration-procedure [Last accessed: 10 May 2022]
6. Guidelines on registration of Entomotoxic bacteria technical and formulation (Bt-biolarvicides) under Section 9(3B) and 9(3) of the **Insecticide Act, 1968.**
   http://www.ppqs.gov.in/sites/default/files/2.1.52011.doc [Last accessed: 10 May 2022]
7. Checklist for registration under Sections 9(3)
   http://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/checklist [Last accessed: 10 May 2022]
8. Good labelling practices for pesticides recommended by World Health Organization (WHO).
   https://www.who.int/publications/i/item/9789241509688 [Last accessed: 10 May 2022]
9. Prerequisites for prequalification vector control on the WHO website.
   https://extranet.who.int/pqweb/vector-control-products [Last accessed: 10 May 2022]
10. WHO prequalified vector control products.
    https://extranet.who.int/pqweb/vector-control-products/prequalified-product-list
    [Last accessed: 10 May 2022]
11. Packages containing insecticides need to be packed in accordance with the conditions specified in the Red Tariff, issued by the Ministry of Railways.
    https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/Download%20File.pdf
    [Last Accessed: 10 May 2022]
12. **Insecticide Rules, 1971.**
    http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

DO NOT PRINT

13. Latest Standard Operating Procedure for introduction of public health pesticides under NVBDCP. https://nvbdcp.gov.in/Doc/Final%20Interim%20Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20%20for%20introduction%20of%20public%20health%20pesticides%20including%20biolarvicides%20in%20the%20NVBDCP.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

14. **Indian Contract Act, 1872.** https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2187/2/A187209.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

15. Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016. https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/5232542721532941542.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

16. Operational Guidelines for Urban Vector-Borne Diseases Scheme 2016, NVBDCP. https://nvbdcp.punjab.gov.in/Download/OPERATIONAL-GUIDELINES-FOR-URBAN-VBD-SCHEME-2016.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

17. **Plastic Waste Rules, 2016.** https://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/168620.pdf [Last accessed: 10 May 2022]

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT